# छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड

1. **कृषि उपज मंडी अधिनियम का अनुकूलन :–** नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में शासन की अधिसूचना क्रमांक/कृषि/मंडी/डी/2006/15/ 14–3 दिनांक 16.12.2000 द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज अधिनियम 1972 (क्रमांक–24 सन् 1973) दिनांक 01 नवंबर 2000 की स्थिति में यथा संशोधित को दिनांक 01 नवंबर 2000 से अनुकूलित किया गया है।

2. **छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन :–** छ.ग. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक/ मंडी/डी/2000/13/14–3 दिनांक 23.12.2000 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन हुआ है।

3. **राज्य के विकास में योगदान, कल्याणकारी योजनाओं से आम जनता को मिलने वाले लाभ तथा उनकी प्रगति पर अद्यतन आलेख :–** छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन के समय प्रदेश में 70 कृषि उपज मंडी समितियां एवं 98 उप मंडियां थी जो कि आज 10 वर्षों में प्रदेश मंडियों की संख्या 73 एवं उपमंडियों की संख्या 111 हो गई है।

राज्य गठन के पश्चात् इन 10 वर्षों में भारत सरकार विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कृषि एवं सहकारिता विभाग एगमार्कनेट योजनान्तर्गत एगमार्क नेट के पोर्टल पर डाटा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश की 73 कृषि उपज मंडियों में कम्प्यूटर की स्थापना की जा चुकी है।

किसानों के कृषि उपज का सही तौल के लिये प्रदेश की सभी मण्डी समितियों में वर्ष 2009–10 से इलेक्ट्रानिक तौल कॉटा मशीन से तौल कराई जाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है।

देश की अन्य मंडियों के भाव का प्रसारण, प्राइस टिकर बोर्ड के माध्यम से, प्रथम चरण में प्रदेश की 20 मंडियों में कराने की व्यवस्था वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गई है। द्वितीय चरण में वर्ष 2010–11 में प्रदेश की 21 मंडियों में प्राइस टिकर बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश की मण्डी समितियों के माध्यम से किसानों को निःशुल्क मिट्टी परीक्षण की सुविधा वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गई है।

कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगणों में अपनी उपज विक्रय करने वाले कृषकों को रू. 4.20 प्रतिवर्ष प्रीमियम भुगतान पर रू. 1.00 की बीमा की सुविधा वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2000–01 में आवक जहां 2,51,26,738 क्विंटल थी वह वर्ष 2003–04 में बढ़कर 4,79,13,443 क्विंटल हो गई अर्थात् आवक में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार वर्ष 2009–10 में आवक 6,77,87,340 क्विंटल हुई जो वर्ष 2000–01 की आवक की तुलना में 170 प्रतिशत एवं वर्ष 2003–04 की आवक की तुलना में 41 प्रतिशत वृद्धि है।

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में आवक में वर्ष दर वर्ष वृद्धि छ.ग. राज्य गठन के पश्चात से कृषि उपज मण्डी समितियों में किसानों की सुविधा हेतु कराये गये विकास/निर्माण कार्य एवं कल्याणकारी योजनाओं का प्रतिफल है।

4. विभाग की 5 प्रमुख उपलब्धियां जिन्हें बुलेट प्वाईंट के रूप में उपयोग किया जा सके निम्नानुसार है :–

1. किसानों के कृषि उपज के सही तौल के लिए प्रदेश की मंडियों में परम्परागत तौल कांटे के स्थान पर इलेक्ट्रानिक तौल कांटा लगाया गया है।
2. देश की अन्य मंडियों का भाव प्रसारण प्राइस टिकर बोर्ड के माध्यम से प्रथम चरण में प्रदेश की 20 मंडियों में कराने की व्यवस्था की गई है। द्वितीय चरण में प्रदेश की 21 मंडियों में प्राइस टिकर बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है जिससे किसानों को देश की अन्य मंडियों में चल रहे कृषि उपज की दर का पता चल सके।
3. प्रदेश की मंडी समितियों में किसानों को निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है।
4. प्रदेश की मंडी समितियों के माध्यम से किसानों को निःशुल्क मिट्टी परीक्षण की सुविधा वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गई है।
5. कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगणों में अपनी उपज विक्रय करने वाले कृषकों को रू. 4.20 प्रतिवर्ष प्रीमियम भुगतान कर रू. 1.00 लाख की बीमा सुविधा का लाभ वर्ष 2009–10 से प्रारंभ किया गया है।

5. सारणीबद्ध जानकारी :–

| क्र. | विवरण | वर्ष 2000 | वर्ष 2003 | वर्ष 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि उपज मंडियां | 70 | 73 | 73 |
| 2 | कृषि उपज उप मंडियां | 98 | 104 | 111 |
| 3 | स्थापित आदर्श मण्डी | 0 | 0 | 05 |
| 4 | स्थापित फल सब्जी मंडी | 0 | 0 | 06 |
| 5 | मंडियों में कृषकों के कृषि उपज के तौल हेतु इलेक्ट्रानिक तौल कांटा की व्यवस्था | नहीं | नहीं | प्रदेश की समस्त मंडी/ उप मंडियां |
| 6 | कृषकों को मंडियों में निःशुल्क इंटरनेट की व्यवस्था | नहीं | नहीं | हां |
| 7 | मंडियों के माध्यम से कृषकों का निःशुल्क मिट्टी परीक्षण की व्यवस्था | नहीं | नहीं | हां |
| 8 | नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मंडियों का सुदृढ़ीकरण | 0 | 0 | 04 मंडी एवं 05 उप मंडी |
| 9 | ग्रामीण हाट बाजार का विकास | 0 | 0 | 37 |
| 10 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कराये गये कार्य | 0 | 0 | 102 |
| 11 | भंडारण क्षमता | 72400 मी.टन | 82400 मी.टन | 1,17,700 मी.टन |
| 12 | कृषकों का निःशुल्क बीमा | नहीं | नहीं | हां |
| 13 | मंडी बोर्ड के बढ़ते कदम नामक पुस्तक का प्रकाशन | नहीं | नहीं | हां |
| 14 | आवक | 2,51,26,738 | 4,79,13,443 | 6,77,87,340 |